

कार्यालय अधिष्ठाता



अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा (म.प्र.)

खेल परिसर के सामने, सांची रोड, विदिशा (म.प्र.) 464001, दूरभाष-07592-299254

E-Mail:- deangmcvidisha@gmail.com,

Website:- www.gmcvidisha.org

क्रमांक ...1896...../रैन. बसेरा/आ.बि.वा.जी.एम.सी.विदिशा/2023

दिनांक 18/04/2023

// रैन-बसेरा विज्ञप्ति //

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा के परिसर में स्थित "रैन-बसेरा (आश्रय-भवन)" का संचालन रजिस्टर्ड एन.जी.ओ. के माध्यम से किया जाना है।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा की वेबसाइट www.gmcvidisha.org का अवलोकन कर प्राप्त की जा सकती है।

अधिष्ठाता

अ.बि.वा.शास.चिकित्सा महाविद्यालय,
विदिशा

कार्यालय अधिष्ठाता



अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा (म.प्र.)

खेल परिसर के सामने, सांची रोड, विदिशा (म.प्र.) 464001, दूरभाष-07592-299254
E-Mail:- deangmevidisha@gmail.com, Website:- www.gmevidisha.org

क्रमांक 1894 / रैन. बसेरा / विज्ञप्ति-2 / आ.बि.वा.जी.एम.सी.विदिशा / 2023


दिनांक 18/04/2023

// रैन-बसेरा विज्ञप्ति //

अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा के परिसर में स्थित "रैन-बसेरा (आश्रय-भवन)" का संचालन रजिस्टर्ड एन.जी.ओ. के माध्यम से किया जाना है। रैन-बसेरा (आश्रय-भवन) के संचालन हेतु आवेदन अधिष्ठाता, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा के नाम से प्रस्तुत किये जा सकेंगे। आवेदन (सील बंद लिफाफे) प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि 02.05.2023 शाम 5:00 बजे निर्धारित की गयी है।

नियम एवं शर्तें निम्नानुसार है :-

1. रैन-बसेरा (आश्रय-भवन) हेतु संबंधित एन.जी.ओ. को अपने वैलिड रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ कम से कम तीन वर्ष की सी.ए. द्वारा सत्यापित ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. "रैन-बसेरा (आश्रय-भवन) में द्यूबलाईट, पंखे, पलंग एवं गद्दे की व्यवस्था चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा द्वारा की जावेगी परन्तु भवन एवं उपलब्ध सामग्री का रखरखाव संबंधित एन.जी.ओ. द्वारा किया जावेगा।
3. "रैन-बसेरा भवन हेतु जारी विद्युत बिल एवं जल शुल्क राशि का मुगतान संबंधित एन.जी.ओ. द्वारा किया जावेगा।
4. रैन बसेरा भवन में शुद्ध पेयजल एवं मानव संशाधन (कर्मचारियों) की व्यवस्था संबंधित एन.जी.ओ. द्वारा की जावेगी।
5. संबंधित एन.जी.ओ. को रैन बसेरा हेतु राशि 1,00,000/- (एक लाख रुपये) सुरक्षा निधि के रूप में जमा कराना होगी जो कि वापिसी योग्य होगी। परन्तु रैन बसेरा छोड़ते समय संबंधित एन.जी.ओ. को चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्री चिकित्सा महाविद्यालय, को सौंपना होगा। उपलब्ध करायी गयी सामग्री सही-सलामत वापिस नहीं करने की स्थिति में एन.जी.ओ. द्वारा जमा करायी गयी सुरक्षा निधि राशि राजसात् की जावेगी।
6. रैन-बसेरा भवन एक वर्ष के लिये एन.जी.ओ. को दिया जावेगा एवं रैन बसेरा समिति की अनुशंसा पर अनुबंध की अवधि अधिकतम एक वर्ष के लिये बढ़ायी जा सकेगी।
7. रैन बसेरा समिति द्वारा बीच-बीच में रैन-बसेरा भवन का निरीक्षण किया जावेगा एवं यदि भवन में अव्यवस्थाएँ पायी जाती हैं तो उक्त संबंध में समिति की 02 चेतावनियों के पश्चात संबंधित एन.जी.ओ. हेतु जारी आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
8. रैन-बसेरा भवन हेतु किराया राशि रूम चार्ज-100/- एवं डोरमेट्री चार्ज-30/- निर्धारित किया है।


अधिष्ठाता
अ.बि.वा.शास.चिकित्सा महाविद्यालय,
विदिशा